कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 946 / 2 ई0व0भू0 दिनांक मई, 9, 2016

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

विषयः– लोहारी–सिल्ली–बंड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 10057 / 2015)

सन्दर्भः– Online objection dated 03.05.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति का उत्तर निम्न प्रकार है :–

क.सं.	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	The GPS co-ordinate marked digitally on GIS Software generated geo-referenced map for the area proposed for diversion may be provided in 200-300 m. and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in part I.	Revised GIS generated geo-referenced map has been uploaded in Part I as per instruction.A hard copy attached for reference.
2	GPS co-ordinate marked digitally on geo-referenced for every corner of land proposed for CA.may be provided. It should also be uploaded in the designated place in part I.	Geo- referenced digital CA map has been uploaded in Part I as per instruction. A hard copy also attached for reference.
3	Component wise breakup showing area marked for muck dumping in Part I.	Component wise breakup entered and uploaded in Part I as under :- Total area for road – 1.667 Ha. Total area for muck - 0.080 ha.
4	Density not corrected in part II.	Action taken by DFO Office.
5	The suitablility certificate is uploaded in the column where the Ownership proof of the area proposed for CA need to be uploaded, piz give point wise ans.	CA proposed in village Bagdungra approved within land bank by the Govt. Ownership proof and other papers for the same uploaded in appropriate place and hard copy attached for reference.
10	Please ensure submission of enclosures concerning resolved quarries raised by Nodal Officer.	All the enclosures mentioned above are attached with this letter.

अतः तद्नुसार सूचना अपने स्तर से भी upload कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
9.5.16
(आर0के0पुनेठा)
अधिशासी अभियंता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0 बागेश्वर

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम–बगडुगरा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल– 3.494 है0

1:50,000

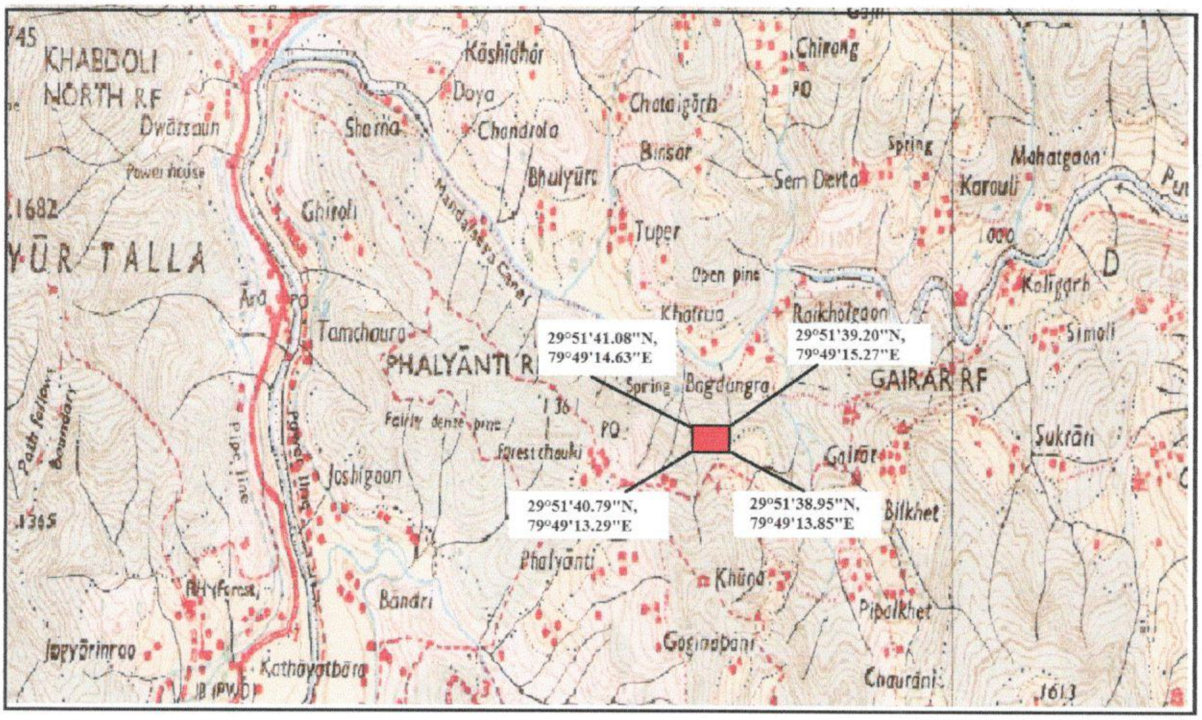

Plantation Site

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली-बन्द-बनल्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.747 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 3.494 हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम बगड़ीगारा की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में 2.10 (प्रपत्र संख्या 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 10 के अन्तर्गत श्रेणी 9(3)ख-वन में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558/ 26– वन / 2010–11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित् कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार कपकोट के पत्रांक — / भूलेख दिनांक 10.01.15 द्वारा 21.908 हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न– उक्तानुसार

[signature] 26.4.16

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर [signature] 26/4/2016

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

पत्रांक 2336 / 2 ई०व०भू०

दिनांक दिसम्बर 22 2014

सेवा में

जिला अधिकारी,
बागेश्वर

विषयः— वन भूमि प्रस्तावों को on line करने के सम्बन्ध में

महोदय,

इस खंड के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों के वन भूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा आपत्ति मे लौटाये गये हैं जिन्हें कार्यवाही उपरान्त on line किया जाना है। आपत्तियों का निराकरण खंड स्तर पर किया जा रहा है। दिनांक 19.12.2014 को नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा अल्मोड़ा में आयोजित कार्यशाला में निर्देशित किया गया कि वन भूमि प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल की खतौनी भी संलग्न की जानी है। इन मार्गों में प्रभावित होने वाली वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा पूर्व में चयनित लैन्ड बैक के अन्तर्गत नीचे कालम 4 में अंकित ग्रामों की सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कालम 3 में दर्शाये गये दुगुने क्षेत्रफल हेतु वनीकरण आंगणन प्रस्तुत किया गया है। अतः कालम 3 के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रफल की खतौनी प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।

क.सं.	मोटर मार्ग का नाम	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का नाम	प्रस्ताव on line करने हेतु लक्ष तिथि
1	2	3	4	5
1	कांडा—जैताई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्ग का गुरना बागेश्वर—दफौट मार्ग में मिलान	3.640 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम कर्मी	16.12.2014
2	बज्यूला—मवई—हरिनगरी मोटर मार्ग	9.898 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम बगड़ूँगरा	18.12.2014
3	लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग	3.494 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम बगड़ूँगरा	20.12.2014
4	भाकड़ा—सरोला मोटर मार्ग का बिजरापुर खन्तोली मोटर मार्ग	4.312 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम दुलम	23.12.2014
5	सिमकूना—बाजड़ मोटर मार्ग का मछियाकोट गिनगड़ी मिलान	3.916 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम दुलम	23.12.2014
6	जस्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग	6.230 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम नौकोड़ी	24.12.2014
7	पातस्तवे से सिमीनरगोल मोटर मार्ग	5.60 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम कर्मी	26.12.2014
8	हरिनगरी—पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार	12.120 है०	सिविल सोयम भूमि ग्राम बगड़ूँगरा/ ~~सिविल सोयम भूमि ग्राम नौकोड़ी~~	28.12.2014

अतः अनुरोध है कि तहसीलदार, बागेश्वर एवं कपकोट को उपरोक्त कालम 3 में अंकित क्षेत्रफल हेतु कालम 4 में अंकित ग्राम की सिविल सोयम भूमि की खतौनी तैयार कर इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ताकि प्रस्तावों को लक्ष्य तिथि तक on line करने की कार्यवाही की जा सके। भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने के बाद इस भूमि का वन विभाग के पक्ष मे अमलदरामद किया जायेगा।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०
बागेश्वर

सं० 1200/ ई०एल०—वन/2014-15 दि० 24/12/2014

वर्ष 2014-15
विभाग XXVI
पत्रावली संख्या 21
क्रम संख्या 27
रजिस्टर सं० 12
निर्गमन तिथि 24/12/14

पटवारी सिंघाटोला

कृ० सवाल को देख
ओर खतौनी नकल
प्रस्तुत करें।

[signature]
तहसीलदार
29/12/14

महोदय,
खतौनी नकल तैयार कर संलग्न है।

[signature]
06/01/015
रा० नि०
सिंघाटोला

आदेश श्रीमान [illegible] महोदय
[illegible] की आज्ञानुसार
की Z.A. की खतौनी
नकल की तीन प्रतियाँ आप
कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

[signature]
तहसीलदार
10/01/15

...र ज० वि० खतौनी उद्धरण ग्राम - बगडुंगरा प०को० - बिलखेत तह० - बागेश्वर
जनपद - बागेश्वर।

श्रेणी ९(3) ख अन्य वन :-

खाता सं०	नाम खातेदार	क्र० वर्ष	खेत नम्बर	रकबा	विवरण
१०	चौड़ जंगल		१४१	८७॥	
			५४१	३९=	
			५४२	५३।	
			५४३	६५	
			५४४	३५-	
			५४५	२८=	
			५४६	४०॥=	
			५४७	१७।	
			५४८	४३	
			५४९	५६।=	
			५५०	३०।=	
			५५१	४८=	
			५५२	६१॥	
			५५३	४५	
			५५४	४५=	
			५५५	४५।।।	
			११९६	४६।	
			११९७	५०	
			११९८	४६।।।=	
			११९९	६२॥	
			१२००	१६॥-	
			१२०१	४२।=	
			१२०२	२३=	
			१२०३	२२≡	
			१२२७	१५॥=	
			१२२८	५॥	
			१२२९	२९॥=	
	योग -		२७	१०९५।=	या= २१.१०४ है०

महोदय,

तैयार किया।

[signature] 06/01/015

रा० वृ० नि० - क्षेत्र [illegible]

1-1-

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्याः– 558 / छब्बीस–वन / 2010–11 दिनांकः 02 ~~जून~~ जुलाई 2010

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।।

विषयः– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या– 223 / 2 ई0व0भू0 दिनांकः 02 जुलाई,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार कुल भूमि– 1402.678 है0 की सूचना / स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या– 172 / छब्बीस–वन / 2008–09 दिनांकः 02 फरवरी,2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या– 759 (1) / xviii (2) / 2009 दिनांकः 20 मार्च,2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु, चिन्हित भूमि का स्थलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरूड़ के अन्तर्गत 0.982 है0 भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 है0 भूमि को चिन्हित भूमि से पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 है0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या– 552 / छब्बीस–वन / 2010–11 दिनांकः 29 जून,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

Steno